

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान – बीकानेर

प्रारूप-6


(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

## आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्री मसूद अली खॉं, सेवानिवृत्त व्याख्याता (वाणिज्य) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजाज नगर-जयपुर जिनकी जन्मतिथि 03.09.1944 है, जो दिनांक 30.09.2002 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/विजांच/11113/(एम-32)/99/ 728-729 दिनांक 26.10.17 द्वारा इनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच समाप्त (Drop) किया गया।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है। इनकी सेवाएं संतोषप्रद रही है।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 17.01.2018

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31820/स.अदेय/2017-18  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जयपुर I/II
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/एबी अनुभाग/सी-ओएसी
7. सम्बन्धित शाला/संस्था/कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर